न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

मुकदमा संख्या : प०नि० नं. 26/2014 प्रहलाद सिंह बनाम विरेन्द्र सिंह व अन्य

विशेष विवरण	कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2-14	पक्षकारान पेश हुऐ। बहस सुनी गई। फलस्वरूप उपस्थित निगरानी प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही अवैध होने से आज्ञा दिनांक 5-2-14 को इसके अनुसरण में पट्टा संलग्न पत्र जिस पर दिनांक अंकित नहीं है, अवैध होने से निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान फैसला श्रवण। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर निर्णय बाद इत्तलान सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 26/2014

प्रहलाद सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम बाढ बावनपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्ता,

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम बाढ बावनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला–जयपुर।
2. राकेश सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम बाढ बावनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. ग्राम पंचायत–ठीकरिया मीणान, तहसील–कोटखावदा जरिये सचिव।

गैर–निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान् दिनांक 05.02.2014 बमिसल सं0 निल/2013 एवं इसके अनुसरण में दिनांक निल को जारी किया गया पट्टा सं0 45 बहक श्री विरेन्द्रसिंह, राकेशसिंह को निरस्त करने)

उपस्थितिः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री सत्यप्रकाश पारीक, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकर्ता सं. 3 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 26.02.2018**

ग्राम पंचायत–ठिकरिया मीणान् द्वारा दिनांक 05.02.2014 को श्री विरेन्द्र सिंह, राकेश सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बाढबावनपुरा को 38.88 वर्गगज भू–खण्ड का रूपये 253/– प्रति वर्गगज की दर से राशि लेकर पट्टा जारी करने की आज्ञा दी हैं और इसके अनुसरण में पट्टा सं0 45 दिनांक निल जारी किया गया हैं जिससे व्यथीत होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्तागण जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री निर्मल कुमार जैन का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.02.2014 ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 45 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत हैं। गैर–निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से पट्टा चाहने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया है, जिस पर ग्राम पंचायत ने बिना कोई नोटिस जारी करे, बिना मौका देखे फर्जी तरीके से निगरानीकर्ता के कब्जे की भूमि का पट्टा गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को दिनांक 05.02.2014 के प्रस्ताव की पालना में जारी किया है, जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त भू–खण्ड की भूमि पूरी तरह खाली है जिसके दोनो ओर प्रार्थी की भूमि व बाड़ा है तथा निगरानीकर्ता के मकान में आने–जाने के रास्ते के उपयोग में आता है साथ ही ख0नं0 191 गैर–मुमकिन बाड़ा है जो कि निगरानीकर्ता की खातेदारी व क्रयशुदा बाड़ा है जिसमें जाने आने का रास्ता है, वर्षो से निगरानीकर्ता का कब्जा है किन्तु बिना मौका देखे निगरानीकर्ता के कब्जे की व आने जाने के रास्ते की भूमि का अवैध रूप से पट्टा जारी किया है जो निरस्तनीय है। गैर–निगरानीकार संख्या 1 व 2 ने निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा भू–खण्ड का पट्टा लेने हेतु बाला–बाला प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरपंच, ग्राम पंचायत, ठीकरियान मीणान से मिली भगत कर अवैध रूप से फर्जी कार्यवाही कर पट्टा प्राप्त किया है, जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पट्टा जारी किये जाने में धांधली की गई है। सारी कार्यवाही पूर्व से कम्प्यूटर टंकित प्रारूप में रिक्त स्थानों को एक साथ भरकर कार्यवाही की गई है जो ग्राम पंचायत आदेशिका दिनांक 05.08.2013 से 15.05.2014 तक के अवलोकन से स्पष्ट है, रिक्त स्थानों को एक ही दिन एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही स्याही से भरा जाना स्पष्ट रूप से नजर आता है। सारी कार्यवाही फर्जीरूप से कागजी कार्यवाही की गई है। पंचायत ने न तो मौका देखने हेतु पंचों को नियुक्त किया है और न ही मौके पर कोई पंच गए है। दिनांक 20.09.2013 को तीन पंचों 1. गोपाल सिंह, 2. श्योजीराम मीणा, 3. बहादुर मीणा को नियुक्त किया जाना दर्शाया है जबकि दिनांक 20.09.2013 की बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर में उपस्थिति स्वरूप श्योजीराम मीणा व बहादुर के हस्ताक्षर नही है अर्थात् इस बैठक दिनांक 20.09.2013 में पंच श्योजीराम मीणा व पंच बहादुर मीणा उपस्थित नही थे। मौका देखने हेतु दिनांक 20.09.2013 को ही मौका कमेटी गठित करना अंकित किया है और दिनांक 20.09.2013 को ही गोपालसिंह, श्योजीराम व बहादुर सिंह की हस्ताक्षर, अगूंठा निशानी का मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होना आदेशिका दिनांक 20.09.2013 में अंकित किया है, इस मौका रिपोर्ट

पर मौका देखने की कोई दिनांक अंकित नही है। जबकि जरिये शपथ पत्र दिनांक 25.07.2014 श्योराम ने इन्कार किया है कि उसके द्वारा विरेन्द्र सिंह, राकेश सिंह को जो पट्टा जारी किया है उसकी पत्रावली पर कोई हस्ताक्षर नही है और न ही उसने कोई मौका देखा है। अगर कोई हस्ताक्षर है तो वह फर्जी है। बहादुर सिंह पंच ने भी शपथ पत्र दिनांक 29.07.2017 इस आशय का दिया है कि उसके द्वारा मौका नही देखा गया है। इन शपथ पत्रों का गैर–निगरानीकारान ने दस्तावेजी साक्ष्य से कोई खण्डन नही किया है। दिनांक 20.09.2013 को मौका हेतु पंचों की नियुक्ति करना, इसी दिनांक को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होना और इसी दिनांक 20.09.2013 को आपत्ति नोटिस जारी किये जाने की आज्ञा पारित किया जाना तथा पारित आज्ञा की अनुपालना में जारी किये गऐ आपत्ति नोटिस पर कोई दिनांक अंकित नही होना कि किस दिनांक को नोटिस जारी किया गया है तथा किस दिनांक को कहां पर चस्पा किया गया है, जिनके समक्ष चस्पा किया गया है उनके पिता का नाम क्या है, कहां के निवासी है, कुछ तथ्य अंकित नही है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि पूरी कागजी कार्यवाही एक ही जगह बैठकर फर्जी तरीके से की है। दिनांक 05.02.2014 को पट्टा जारी करने का प्रस्ताव किया है, परन्तु कार्यवाही रजिस्टर में पंचों का कोरम पूरा नही था और न ही फैसला फार्म पर पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर है। जो पट्टा जारी किया है उस पर पट्टा जारी करने की दिनांक अंकित नही है। इसी रास्ते की भूमि के संबंध में निगरानीकर्ता के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा गैर–निगरानीकर्ता ने दर्ज कराया था जिसमें पुलिस अनुसंधान में पुलिस द्वारा बनाये गए मौका नजरी नक्शा में भी वादग्रस्त भू–खण्ड को निगरानीकर्ता के मकान में आने जाने का रास्ता व खाली दर्शाया है। इसके पास ही खाली जगह भंवरसिंह की बताई गई है जो निगरानीकर्ता ने जरिये इकरारनामा दिनांक 04.04.2013 को क्रय कर रखा है। मौका नजरी नक्शा पर विरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। प्रारम्भ से शुन्य आज्ञा की निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही हुई परन्तु दिनांक 16.07.2014 को जब रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 मौके पर आकर नाप जोख करने लगे तो इस बाबत् पूछने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने कहा कि इस खाली स्थान का हमनें पट्टा ले लिया है, तथ्यों की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2014 को प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की, नकल प्राप्त करने के पश्चात् वकील से सम्पर्क किया तो वकील ने हडताल होने का कथन किया। ऐसी स्थिति में अन्य अनुभवी व्यक्ति की सहायता से निगरानी प्रार्थना पत्र तैयार कर निगरानी पेश की है। ऐसी स्थिति में जानकारी के अभाव में दिनांक 05.02.2014 से 17.07.2014 तक की देरी क्षम्य योग्य है, जिसके लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद भी इस संबंध में यह भी कथन है निगरानी पेश करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 05.02.2014 एवं इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 45 निरस्त फरमाया जावें।

गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यप्रकाश पारीक का कथन है कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.02.2014 ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 45 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है। गैर–निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से पट्टा चाहने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पेश किया है। वादग्रस्त भू–खण्ड की पूरी भूमि पर गैर–निगरानीकर्तागण का पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है, किसी रास्ते के उपयोग में नही आ रही है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज कानून की पालना करके, मौका देख करके, नोटिस जारी करके गैर–निगरानीकर्तागण को पट्टा जारी किया है, जो बिल्कुल सही जारी किया है। आदेशिका ग्राम पंचायत द्वारा साईक्लोस्टाइल द्वारा तैयार नही की गई है बल्कि कम्प्यूटराइज्ड है। कानून में आदेशिकाएं कम्प्यूटर से या टाईप मशीन से टाईप करवाने की मनाही नही है। इसलिये निगरानीकर्ता का यह कहना कि आदेशिका पर कार्यवाही व्यवहारिक रूप से संभव नही है, गलत होने के कारण स्वीकार नही है। दिनांक 20.09.2013 को तीन पंचों की कमेटी मौका निरीक्षण हेतु बनायी गई, जो कानूनी रूप से जरूरी थी। कानून में यह कही भी मनाही नही है कि उसी दिन मौका रिपोर्ट नही आ सकती हो । रिपोर्ट आने के बाद ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस जारी किये, जो तीस दिन की समयावधि के लिऐ जारी किये, जो बिल्कुल सही जारी किया गया है । ग्राम पचांयत की कमेटी द्वारा उसी दिन मौका रिपोर्ट आने की पंचायती राज कानून में कोई मनाही नहीं है, गांव छोटा सा है इसलिऐ ऐसा सम्भव है । ग्राम पंचायत की बैठके नियत समय में होती है । ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी कर आपत्तियां आमन्त्रित की है, आपत्तियों के लिऐ नियमानुसार वांछित समय दिया गया है, जब किसी की ओर से कोई आपत्ति पेश नही हुई तो ग्राम पंचायत ने पंचायती राज कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर–निगरानीकर्तागण संख्या 1 व 2 के हक में उनकी कब्जेशुदा भूमि का पट्टा देने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, किसी प्रकार से कोई कार्यवाही फर्जीरूप से एवं मिथ्या कथनों के आधार पर नहीं की गई है । निगरानी प्रार्थना–पत्र अत्यधिक विलम्ब से गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को हेरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता ने दिनांक 16.07.2014 की जिस घटना का उल्लेख किया है, वह मिथ्या होने से चलने योग्य नही है। ग्राम पंचायत द्वारा बाकायदा नियमानुसार नोटिस जारी किये गये थे, जो पत्रावली से स्पष्ट है। गैर–निगरानीकर्तागण संख्या 1 व 2 द्वारा पट्टे के लिऐ आवेदन दिनांक 05.08.2013 को किया है और सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद दिनांक 05.02.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का निर्णय किया गया है और इस निर्णय के अनुसरण में पट्टा जारी किया गया है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार निगरानीकर्ता ने इतने लम्बे समय तक भी कोई आपत्ति पेश नही की, इस प्रकार निगरानीकर्ता का यह कहना कि उसको पट्टा लेने के तथ्य की

जानकारी नहीं थी मनगढन्त कपोल–कल्पित है। निगरानीकर्ता ने दिनांक 17.07.2014 को नकल प्राप्त होने का कथन किया है और इसी आधार पर जानकारी होने का कथन किया है जबकि वास्तव में निगरानीकर्ता को वादग्रस्त पट्टे की जानकारी दिनांक 17.07.2014 से पूर्व हो चुकी थी। निगरानीकर्ता ने कभी भी कोई उज्रदारी ग्राम पंचायत में पेश नहीं की, ना ही कोई अपील पंचायत समिति में पेश की । निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई सद्भावी कारण नहीं बतलाया है, मात्र गैर–निगरानीकर्तागण संख्या 1 व 2 को हेरान व परेशान कर पट्टेशुदा भू–खण्ड को हड़पने की गरज से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो तथ्यो से परे व मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज खारिज फरमाया जावें अधीनस्थ ग्राम पंचायत ठीकरिया मीणान् की आज्ञा दिनांक 05.02.2014 व इसके अनुसरण जारी किया गया पट्टा संख्या 45 बहाल रखा जावें ।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री निर्मल कुमार जैन ने कथन किया है कि दिनांक 20.09.2013 को मौका देखने हेतु तीन पंचों गोपाल सिंह, श्योजीराम मीणा व बहादुरसिंह मीणा की कमेटी बनाई गई है और इसी दिनांक 20.09.2013 को उक्त तीनों पंचों द्वारा मौका देखकर दिनांक 20.09.2013 को ही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जाहिर किया है जबकि दिनांक 20.09.2013 की बैठक में श्योजीराम और बहादुर सिंह मीणा उपस्थित ही नही थे। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री निर्मल कुमार जैन के कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 20.09.2013 से होती है। जिसमें उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर वाले कॉलम में दोनो पंचों श्योजीराम मीणा व बहादुर सिंह मीणा के हस्ताक्षर नही है। जब दोनों पंच बैठक में ही उपस्थित नही थे तो दिनांक 20.09.2013 को मौका देखने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। मौका रिपोर्ट पर पंच श्योजीराम मीणा व बहादुर सिंह मीणा ने जरिये शपथ पत्र अपने हस्ताक्षर व अगूंठा निशानी होने से व मौका देखने से इन्कार किया है श्योजीराम मीणा व बहादुर सिंह मीणा के शपथ पत्रों के खण्डन में गैर–निगरानीकर्तागण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है अलबता नकल बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 20.09.2013 में श्योजीराम मीणा व बहादुर सिंह मीणा के हस्ताक्षर न होने से दिनांक 20.09.2013 को मौका देखा जाना और इसी दिनांक को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संदेहास्पद है। क्योकि मौका रिपोर्ट पर भी मौका देखने की कोई दिनांक अंकित नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपत्ति नोटिस की प्रति उपलब्ध है, परन्तु इस आपत्ति नोटिस पर नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित नही है और आपत्ति नोटिस की पुश्त पर जिन दो व्यक्तियों के जगदीश सिंह व कजोड सिंह के हस्ताक्षर है, इन हस्ताक्षरों पर भी कोई दिनांक अंकित नही है और न ही इन व्यक्तियों के कोई स्पष्ट पते दर्ज है। जिससे यह संदेह और विश्वास किये जाने का

पर्याप्त कारण है कि वास्तव में आपत्ति नोटिस जारी नही हुआ है और 30 दिवस की आपत्ति प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है। जब सार्वजनिक स्थान पर आपत्ति नोटिस जारी ही होना प्रमाणित नही होता है तो किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की कल्पना ही नही की जा सकती है। गैर–निगरानीकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोग सं0 73/2013 के सबंध में दोराने अनुसंधान तैयार किये गए नक्शा मौका में वादग्रस्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के आने जाने का रास्ता जाहिर होता है जिस पर स्वयं विरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। उक्त तथ्यों के साथ एक अहम बिन्दु यह है कि दिनांक 05.02.2014 को जो पट्टा जारी किये जाने का फैसला किया गया है उस पर ग्राम पंचायत की कोरम के हस्ताक्षर नही है। ग्राम पंचायत की कोरम के पंचों के हस्ताक्षर न होने की स्थिति में इसे ग्राम पंचायत का फैसला नही माना जा सकता है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.02.2014 में कानी, गोपाललाल, विनोद, दुलीदेवी व रूकमणी पंच के हस्ताक्षर है, परन्तु नियमानुसार वांछित बहुमत के हस्ताक्षर नही है। पट्टा किस दिनांक को जारी किया गया कोई दिनांक अंकित नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट जाहिर है कि गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 को ग्राम पंचायत /सरपंच ने नियमों की अनदेखी कर बिना कोरम के बहुमत के, अवैध रूप से पट्टा जारी किये जाने की आज्ञा दिनांक 05.02.2014 पारित की गई है और इसके अनुसरण में अनुचित रूप से पट्टा सं0 45 जारी किया गया है, जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है। अतः उक्त विवेचनानुसार निगरानी प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही अवैध होने से आज्ञा दिनांक 05.02.2014 एवं इसके अनुसरण में पट्टा संख्या 45 जिस पर दिनांक अंकित नही है, अवैध होने से निरस्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर